अंक 32 । संख्या 6 । जून 2025

मानव अधिकार

न्यूज़लेटर

सर्वे भवन्तु सुखिनः

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत का मासिक प्रकाशन

भारत के 57 प्रतिशत जिले जहां तीन-चौथाई आबादी रहती है, अब उच्चतम ताप जोखिम का सामना कर रहे हैं।

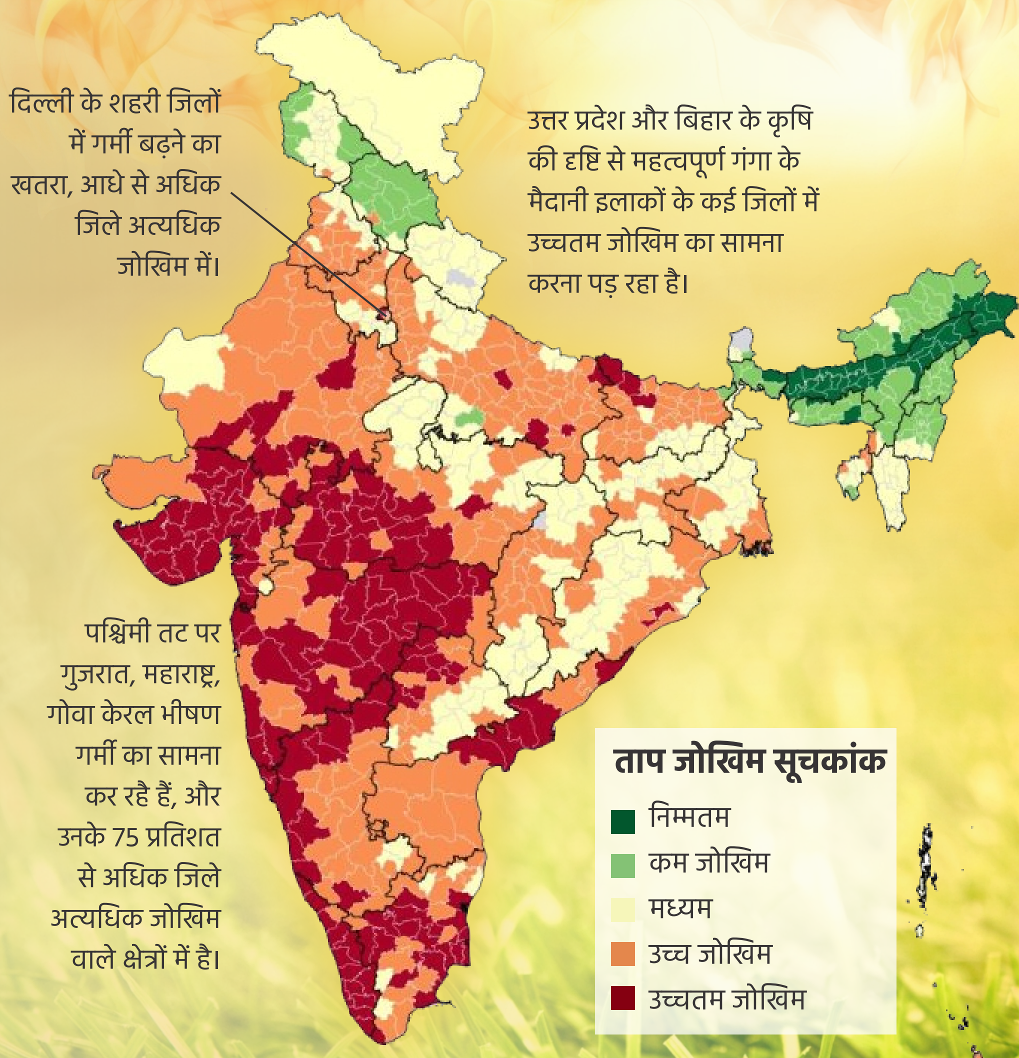

रिपोर्ट

महिलाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन

नेतृत्व मूनशॉट: भविष्य को आकार देना

लेख

लू : उभरती चुनौतियाँ और भविष्य की संभावनाएं

मानव अधिकार

न्यूज़लेटर
अंक 32 । संख्या 6 । जून 2025

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

अध्यक्ष
न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन

सदस्य
न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन षडंगी
श्रीमती विजया भारती सयानी
श्री प्रियंक कानूनगो

महासचिव
श्री भरत लाल

संपादक
जैमिनि कुमार श्रीवास्तव
उपनिदेशक (मीडिया एवं संचार), एनएचआरसी

यह सामग्री आयोग की वेबसाइट www.nhrc.nic.in पर भी उपलब्ध है। गैर-सरकारी तथा अन्य संगठन आयोग के मानव अधिकार न्यूज़लेटर में प्रकाशित लेखों के व्यापक प्रसार हेतु आयोग का आभार मानते हुए पुन: प्रकाशित कर सकते हैं।

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन और महासचिव, श्री भरत लाल भारत में यूके की उच्चायुक्त महामहिम सुश्री लिंडी कैमरुन के साथ बातचीत करते हुए

विषय-वस्तु

मासिक विवरण
3 महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी की डेस्क से

रिपोर्ट्स
4 महिला नेतृत्व पर राष्ट्रीय सम्मेलन मूनशॉट: भविष्य को आकार देना

लेख
7 लू: उभरती चुनौतियाँ और भविष्य की संभावनाएँ
9 महत्वपूर्ण हस्तक्षेप
9 स्वत: संज्ञान
11 राहत के लिए संस्तुतियां
12 पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान
13 केस स्टडीज
13 घटनास्थल पूछताछ

क्षेत्रीय दौरे
14 एनएचआरसी, भारत के सदस्य का दौरा
14 विशेष प्रतिवेदक और विशेष मॉनीटर

क्षमता निर्माण कार्यक्रम
15 ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप (ओएसटीआई)
16 छात्रों के ज्ञानवर्धक दौरे

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एनएचआरसी
17 ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव
18 प्रतिनिधिमंडल का दौरा

18 एनएचआरसी ने मानव अधिकारों पर अपनी 11 वीं लघु फिल्म प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जारी की

19 तकनीकी पहल

19 राज्य मानव अधिकार आयोगों से समाचार

20 संक्षेप में समाचार

23 आगामी कार्यक्रम

23 मई, 2025 में शिकायतें

▶ एनएचआरसी, भारत की सदस्या, श्रीमती विजया भारती सयानी श्री प्रकाश विद्या निकेतन, आंध्र प्रदेश में 'मौलिक अधिकार और एनएचआरसी की भूमिका' विषय पर एक कार्यक्रम को संबोधित करती हुईं

www.nhrc.nic.in
@India_NHRC

Cover page image based on CEEW report

RNI No. 61957/95

मासिक विवरण

महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी की डेस्क से

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत अपनी सुदृढ़ शिकायत प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से मानव अधिकारों की सुरक्षा में प्रयासरत है। समीक्षाधीन महीने के दौरान, आयोग को 6,510 शिकायतें प्राप्त हुई और 2,730 मामलों का निपटारा किया गया, जिनमें से 15,966 शिकायतें वर्तमान में विचाराधीन हैं। 26 मामलों में, आयोग ने पीड़ितों या उनके निकटतम रिश्तेदारों को 122.75 लाख रुपये से अधिक की मौद्रिक राहत की संस्तुति की। आयोग ने मानव अधिकार उल्लंघन के कई रिपोर्ट किए गए मामलों में स्वतः संज्ञान भी लिया।

आयोग मानव अधिकारों के उन प्रमुख पहलुओं को प्राथमिकता देता रहता है जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा ही एक पहलू पर्यावरण का मुद्दा है और मानव अधिकारों पर इसके दूरगामी प्रभाव हैं। आयोग ने बढ़ते तापमान के कारण होने वाली मौतों सहित जलवायु संबंधी कमज़ोरियों पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने देश में गर्मी और लू के कारण 1991 से 2022 के बीच 24 हज़ार से ज़्यादा मौतों की सूचना दी है। यूरोप में, ऐसी ही परिस्थितियों के कारण 70 हज़ार से ज़्यादा लोगों की जान चली गई।

भारत सरकार ने जलवायु संबंधी मुद्दों को संबोधित करने के लिए कदम उठाए हैं, जिसमें गर्मी और लू से लोगों की जान बचाना शामिल है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 1 मई को आयोग ने 11 राज्यों को पत्र भेजे, जिन्हें गर्मी के लिए सबसे अधिक संवेदनशील माना जाता है, जिसमें उन्हें जोखिम वाली आबादी की सुरक्षा के लिए विस्तृत एनडीएमए दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन सहित तत्काल और सक्रिय उपाय लागू करने का आग्रह किया गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, बाहरी मजदूरों, गिग वर्कर्स, बुजुर्गों, बच्चों और बेघर लोगों की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया गया - ये समूह आश्रय, स्वास्थ्य सेवा और अन्य सुरक्षात्मक संसाधनों तक अपर्याप्त पहुंच के कारण अत्यधिक गर्मी से असमान रूप से प्रभावित होते हैं। इस संस्करण में गर्मी के मानव अधिकार आयामों की जांच करने वाला एक समर्पित लेख भी शामिल है, जो जलवायु लचीलापन और समावेशी नीति हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

आयोग का मानना है कि भारत एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर है, जहाँ समावेशी नेतृत्व और उत्तरदायी शासन की खोज देश के भविष्य को आकार दे रही है। यह दृष्टिकोण महिला नेतृत्व मूनशॉट: शेपिंग द फ्यूचर पर राष्ट्रीय सम्मेलन में जीवंत हुआ, जहाँ प्रतिष्ठित नेताओं ने महिलाओं की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए चल रहे प्रयासों के साथ-साथ भविष्य की कार्रवाई पर प्रकाश डाला। लैंगिक असमानताओं को दूर करने से लेकर स्टार्ट अप इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्थानीय स्वशासन और जल जीवन मिशन जैसी पहलों के माध्यम से जमीनी स्तर के नेतृत्व के प्रभाव को प्रदर्शित करने तक, बातचीत ने इस बात को रेखांकित किया कि कैसे समानता, अवसर और अधिकार-आधारित शासन में निहित सतत विकास देश को बदल रहा है। इसके बाद की रिपोर्ट सम्मेलन में हुई चर्चाओं पर गहराई से प्रकाश डालती है।

ये विषय पूर्वी सेना कमान में मेरे संबोधन के दौरान भी गूंजे, जहाँ भारतीय सेना द्वारा अपने संचालन लोकाचार में मानव अधिकार सिद्धांतों को एकीकृत करना संस्थागत जिम्मेदारी के एक मॉडल के रूप में सामने आया। मानव अधिकारों को बनाए रखने के लिए भारत की प्रतिबद्धता - यहाँ तक कि आतंकवाद विरोधी संदर्भों में भी - एक नैतिक अनिवार्यता और एक रणनीतिक ताकत दोनों है। यह देश के सभ्यतागत मूल्यों को दर्शाता है और हमारे संस्थानों के लिए वैश्विक प्रशंसा को मजबूत करता है।

मानव अधिकारों का संवर्धन एवं संरक्षण करने में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, आयोग ने अपने प्रमुख मानव अधिकार लघु फिल्म प्रतियोगिता, 2025 के 11 वें संस्करण के लिए प्रविष्टियाँ जारी की हैं। 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से ही आयोग ने देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में विभिन्न आयु समूहों में भारतीय नागरिकों के बीच उल्लेखनीय लोकप्रियता हासिल की है, जिन्होंने अपनी रचनात्मक अभिव्यक्तियों के माध्यम से मानव अधिकारों पर अपने दृष्टिकोण को पसंद करने योग्य फिल्मों के रूप में साझा किया है। पिछले साल, प्रतियोगिता में अंग्रेजी में उपशीर्षक के साथ विभिन्न भारतीय भाषाओं में रिकॉर्ड संख्या में 303 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई। आयोग को आशा है कि इस प्रतियोगिता के बारे में जानकारी इसके न्यूज़लेटर के पाठकों द्वारा फैलाई जाएगी ताकि लोगों की भागीदारी अधिकतम हो सके।

इसके अलावा, आयोग ने विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों के लिए मई महीने के लिए अपनी ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप भी पूरी की। कुल 1,795 आवेदकों में से 21 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 69 छात्रों ने इस प्रतिष्ठित इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लिया। इस संस्करण में आपको आयोग द्वारा किए गए प्रमुख कार्यक्रमों और गतिविधियों पर रिपोर्ट भी मिलेगी, साथ ही हमें आशा है आपको यह एक ज्ञानवर्धक और रुचिकर लेख लगेगा।

[भरत लाल]
महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

महिला नेतृत्व पर राष्ट्रीय सम्मेलन मूनशॉट: भविष्य को आकार देना

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत मानव अधिकारों का संवर्धन एवं संरक्षण के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ काम करता है। इनमें केंद्र और राज्य सरकारें और उनके अर्ध-सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन, मानव अधिकार रक्षक और शोधकर्ता आदि शामिल हैं। आयोग मानव अधिकारों से जुड़े मुद्दों और बाधाओं पर चर्चा करने और सुधार के उपाय सुझाने के लिए मानव अधिकारों से जुड़े कई विषयों पर राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन आयोजित करने के लिए भी उनके साथ सहयोग करता है। इसी भावना के साथ, आयोग ने भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आईएनएसए) के साथ मिलकर 2 मई, 2025 को नागरिक समाज संगठन

▶ जी-20 शेरपा एवं नीति आयोग के पूर्व सीईओ श्री अमिताभ कांत उद्घाटन भाषण देते हुए

संकल्पा फाउंडेशन द्वारा आयोजित 'महिला नेतृत्व मूनशॉट: भविष्य को आकार देना' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का समर्थन किया, जिसमें नीति निर्माता, वैज्ञानिक, नेता और उद्यमी एक साथ आए।

इस सम्मेलन में भारत के जी-20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ श्री अमिताभ कांत, एनएचआरसी, भारत की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी, नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य,

▶ एनएचआरसी, भारत की सदस्या, श्रीमती विजया भारती सयानी प्रतिभागियों को संबोधित करती हुईं

पोषण, शिक्षा) डॉ. विनोद पॉल, पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल डॉ. किरण बेदी, एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल, आईएनएसए के अध्यक्ष प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, पूर्व प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के. विजय राघवन, पीएमओ के पूर्व सलाहकार श्री अमरजीत सिन्हा, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर (सार्वजनिक स्वास्थ्य) डॉ. मनोहर अगनानी, इन्वेस्ट इंडिया के पूर्व सीईओ श्री दीपक बागला और कई अन्य डोमेन विशेषज्ञों ने भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए अपने दृष्टिकोण के बारे में बात की।

जी20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ श्री अमिताभ कांत ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि महिलाएं विकसित भारत के विजन का केंद्र हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था को 4 ट्रिलियन डॉलर से 30 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने के लिए महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है; वे परिवर्तनकर्ता और कल की नेता हैं। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में महिलाओं के बैंक खाते का स्वामित्व 18% से बढ़कर 78% हो गया है और उच्च शिक्षा और STEM क्षेत्रों में महिलाओं का नामांकन काफी बढ़ गया है।

उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए, एनएचआरसी, भारत की सदस्या, श्रीमती विजया भारती सयानी ने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ बनने के लिए सामाजिक बाधाओं से ऊपर उठने की अपनी व्यक्तिगत यात्रा साझा की। प्रतिष्ठित महिला नेताओं के उदाहरणों का हवाला देते हुए, उन्होंने महिलाओं से सीमित मानदंडों को चुनौती देने और दृढ़ संकल्प के साथ नेतृत्व करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं को हमेशा सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। रानी अब्बक्का, कन्नगी, रानी लक्ष्मीबाई, कित्तूर चेन्नम्मा, रानी दुर्गावती और रानी रुद्रमादेवी जैसी शक्तिशाली नेताओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में महिलाओं ने लंबे समय से शासक, न्यायाधीश, योद्धा, कलाकार, संत, लेखक और घरेलू नेताओं के रूप

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल सम्मेलन को संबोधित करते हुए

में भूमिकाएँ निभाई हैं, जबकि दुनिया के अन्य हिस्सों में 16वीं, 17वीं और 18वीं शताब्दियों में वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही थीं और गुहार लगा रही थीं।

रानी अहिल्याबाई होल्कर के ऐतिहासिक नेतृत्व और लचीलेपन पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने उनकी प्रगतिशील नीतियों पर जोर दिया। उन्होंने गोद लेने पर कानून बनाए, विधवाओं को विशेष अधिकार दिए, जिला-स्तरीय अदालतें बनाकर न्याय का विकेंद्रीकरण किया और अगर लोग फैसलों से असंतुष्ट थे तो सीधे अपनी अदालत में अपील करने की अनुमति दी। इससे पता चलता है कि महिलाएँ हमेशा से भारत के भविष्य की निर्माता रही हैं।

एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने इस बात पर जोर दिया कि 6-6.5% की वृद्धि से आगे बढ़ने के लिए, भारत को कार्यबल में शामिल होने के लिए अधिक युवा महिलाओं को सुविधा प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने समानता के लिए भारत की संवैधानिक प्रतिबद्धता का पता लगाया और याद दिलाया कि कैसे हंसा मेहता और लक्ष्मी मेनन ने यूडीएचआर की समावेशी भाषा को आकार दिया। उन्होंने हाशिए के समूहों, विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एनएचआरसी की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों में 46% महिलाएँ हैं, जो जमीनी स्तर पर महिला शासन में भारत के नेतृत्व को रेखांकित करता है।

▶ पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल डॉ. किरण बेदी समापन भाषण देती हुई

यूनिसेफ इंडिया की कंट्री रिप्रेजेंटेटिव सुश्री सिंथिया मैककैफ्रे ने विशेष संबोधन देते हुए इस बात पर जोर दिया कि देश के विकास के लिए महिलाओं और लड़कियों में निवेश करना बहुत जरूरी है। उन्होंने जीवन में सुधार और समावेशी विकास के लिए एसडीजी 5 (लैंगिक समानता) को जरूरी बताया।

डॉ. किरण बेदी ने अपने समापन भाषण में, विकसित भारत के विजन को साकार करने में मदद करने के लिए एक शक्तिशाली 10-सूत्री एजेंडे की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें महिलाओं को इस परिवर्तन के केंद्र में रखा गया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को जनता का विश्वास फिर से बनाने के लिए प्रतिदिन क्षेत्रीय संस्थानों के साथ जुड़ने के लिए जवाबदेह शासन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने महिला सरपंचों को इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रदान करके ग्रामीण महिलाओं की गतिशीलता बढ़ाने का प्रस्ताव रखा और आर्थिक सशक्तीकरण और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा संचालित देखभाल उद्योग के लिए अधिक नीतिगत समर्थन का आह्वान किया।

सम्मेलन में उद्यमिता, STEM अनुसंधान, शासन और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा में नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका पर केंद्रित चार विशेष सत्र आयोजित किए गए। इसका उद्देश्य विविध हितधारकों के बीच संवाद को बढ़ावा देकर और G20 नई दिल्ली घोषणा और सतत विकास लक्ष्यों जैसी वैश्विक प्रतिबद्धताओं के साथ तालमेल बिठाकर परिवर्तनकारी बदलाव को गति देना था।

भविष्य को आकार देना - शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर सत्र के दौरान बोलते हुए, डॉ. विनोद पॉल ने महिलाओं के सामने आने वाली स्वास्थ्य चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिसमें एनीमिया और ऑस्टियोपोरोसिस की उच्च दर और विधवापन का सामाजिक प्रभाव शामिल है। उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण का समर्थन और शिक्षा और कार्यबल भागीदारी के बीच की खाई को पाटने के लिए मजबूत कौशल और रोजगार मार्गों की आवश्यकता पर जोर दिया।

▶ प्रतिभागियों का एक समूह

डॉ. मनोहर अगनानी ने भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य की जटिलताओं पर बात की। उन्होंने प्रजनन स्वास्थ्य में प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए शुरुआत की, जिसमें पिछले तीन दशकों में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी शामिल है - जो वैश्विक रुझानों से काफी आगे है। उन्होंने लिंग-संवेदनशील स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, अनुसंधान और विकास में निवेश में वृद्धि और जेंडर और जेंडर -विभाजित डेटा के व्यवस्थित संग्रह और विश्लेषण का समर्थन किया।

लेख

पर्यावरण दिवस 5 जून, 2025

लू: उभरती चुनौतियाँ और भविष्य की संभावनाएँ

- **भरत लाल,** महासचिव, एनएचआरसी; तथा
राघवेन्द्र सिंह, जेआरसी, एनएचआरसी

वर्ष 2024 को आधिकारिक तौर पर विश्व स्तर पर सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में, गर्मी की लहरों के कारण हर साल औसतन 700 मौतें होती हैं। यूरोप में 2003 की गर्मी की लहर के दौरान 70,000 से ज़्यादा मौतें हुईं, जो दर्ज इतिहास में सबसे भयावह गर्मी की घटनाओं में से एक थी। ऑस्ट्रेलिया में, गर्मी की लहरें सांख्यिकीय रूप से सबसे घातक प्राकृतिक खतरा हैं, जो 2001 से 2018 के बीच 3,000 से ज़्यादा मौतों के लिए ज़िम्मेदार हैं। अकेले भारत में, 1992 से 2023 के बीच गर्मी की लहरों के कारण 25,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है।

2024 की गर्मियों में 2010 के बाद से सबसे लंबी और सबसे व्यापक गर्मी की लहर आई, जिसमें ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में लगातार 30 दिनों तक अत्यधिक तापमान रहा। 100 से अधिक मौतों की पुष्टि हुई और लू और निर्जलीकरण के हजारों मामले सामने आए (एनडीएमए, 2024)।

ILO (2019) की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि गर्मी के कारण उत्पादकता में गिरावट के कारण भारत 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद का 5% तक खो सकता है, क्योंकि काम के पाँचवें घंटे पहले ही उमस भरी गर्मी के कारण बर्बाद हो चुके हैं। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (CEEW) द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन (2025) में पाया गया कि 57% भारतीय जिले - जहाँ 76% आबादी रहती है - उच्च से बहुत उच्च गर्मी के जोखिम का सामना कर रहे हैं। CEEW विश्लेषण तीन खतरनाक रुझानों पर प्रकाश डालता है:

- गर्म रातों की बढ़ती आवृत्ति,
- सापेक्ष आर्द्रता में तीव्र वृद्धि, तथा
- दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद और भुवनेश्वर जैसे घनी आबादी वाले, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जिलों में पहुंच का विस्तार करना।

गर्मी की लहरें अब पारंपरिक रूप से आर्द्र मानसून के महीनों में फैल रही हैं, जैसा कि 2024 में चेन्नई में देखा गया, जिससे उच्च गर्मी और आर्द्रता का खतरनाक संयोजन पैदा हो रहा है। रात के समय की गर्मी विशेष रूप से खतरनाक होती है - यह आराम के घंटों के दौरान शरीर की प्राकृतिक शीतलन प्रक्रिया को बाधित करती है, जिससे स्वास्थ्य जोखिम बढ़ जाता है और जैविक घड़ी पर दबाव पड़ता है।

इसका असर सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, जल प्रणाली और आजीविका तक फैला हुआ है। भारत के 46% कार्यबल कृषि में कार्यरत हैं, इसलिए महत्वपूर्ण फसल चरणों के दौरान बढ़ते तापमान से पैदावार में कमी आ रही है। इससे सिंचाई की मांग बढ़ जाती है, जिससे पानी की कमी और भी बढ़ जाती है। 2100 तक, आर्द्र गर्मी के तनाव से किसान और मजदूर की उत्पादकता 40% तक कम हो सकती है, जिससे खाद्य असुरक्षा बढ़ सकती है।

पिघलते ग्लेशियर, नदियों के प्रवाह में परिवर्तन, तथा अनियमित मानसून - जो अब अपेक्षा से पहले आ रहे हैं - भारत के जल विज्ञान चक्र में व्यापक व्यवधान के संकेत हैं, जिससे आजीविका और पारिस्थितिकी तंत्र दोनों खतरे में पड़ रहे हैं।

भेद्यता: इसका खामियाजा कौन भुगतेगा?

भेद्यता गतिशील है, जो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय असमानताओं से आकार लेती है। आईपीसीसी के अनुसार, जलवायु जोखिम खतरे, जोखिम और भेद्यता के परस्पर क्रिया से उत्पन्न होता है - और हर कोई उस जोखिम को समान रूप से नहीं उठाता है।

सबसे अधिक प्रभावित समूह में शामिल हैं:

- बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाएं, जिनकी जैविक लचीलापन कम है
- मधुमेह, एनीमिया और उच्च रक्तचाप जैसी दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित लोग
- शहरी झुग्गी-झोपड़ियों के निवासी, जहां घर के अंदर का तापमान 50°C से अधिक हो सकता है
- महिलाएं, विशेषकर वे जो अत्यधिक गर्मी वाले घरों या अनौपचारिक नौकरियों में लंबे समय तक काम करती हैं
- हाशिए पर पड़े समुदाय - जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग शामिल हैं
- निर्माण मजदूर, किसान और पुलिस जैसे बाहरी कामगार, जिनके पास अक्सर सुरक्षात्मक बुनियादी ढांचे का अभाव होता है
- गिग वर्कर्स, विशेष रूप से डिलीवरी ड्राइवर, उच्च तापमान और सख्त डिलीवरी समयसीमा के दोहरे बोझ का सामना करते हैं, जिससे काफी तनाव पैदा होता है

ज्ञात जोखिमों के बावजूद, महत्वपूर्ण अंतराल बने हुए हैं - संवेदनशील आबादी का अपर्याप्त मानचित्रण, मानकीकृत संकेतकों की कमी, शहरी ताप द्वीप की खराब निगरानी, जलवायु-स्वास्थ्य डेटा का सीमित एकीकरण और रिमोट सेंसिंग उपकरणों का अपर्याप्त स्थानीय उपयोग।

गर्मी का जोखिम और सतत विकास लक्ष्य: एक व्यापक खतरा

गर्मी से होने वाला तनाव कई सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को खतरे में डालता है, जैसे:

- एसडीजी 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण): अत्यधिक बोझ वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियाँ और बढ़ती मातृ एवं नवजात जटिलताएँ;
- एसडीजी 8 (सभ्य कार्य और आर्थिक विकास): उत्पादकता में कमी और बढ़ते व्यावसायिक खतरे; तथा
- एसडीजी 11 (टिकाऊ शहर और समुदाय): जल और ऊर्जा की बढ़ती मांग, बुनियादी ढांचे पर दबाव।

महिलाएं, खास तौर पर अनौपचारिक क्षेत्रों में, असंगत बोझ उठाती हैं। गर्भवती महिलाओं को समय से पहले प्रसव का जोखिम रहता है; कृषि, निर्माण या घरेलू काम में लगी महिलाओं को कम से कम सुरक्षा के साथ लंबे समय तक गर्मी के संपर्क में रहना पड़ता है। सार्वजनिक नीति में अनौपचारिक काम की अनदेखी के कारण ये प्रभाव अक्सर दर्ज नहीं किए जाते हैं।

भारत की प्रतिक्रिया: ताप कार्रवाई योजना (एचएपी)

भारत सरकार ने पिछले एक दशक में विशेष रूप से हीटवेव से निपटने के लिए शमन और अनुकूलन उपाय को उच्च प्राथमिकता दी है। वास्तव में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) हीटवेव को सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित मानता है। 23 हीट-प्रोन राज्यों के 250 से अधिक शहरों और जिलों ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सलाहकार, तकनीकी और संस्थागत तंत्रों द्वारा समर्थित हीट एक्शन प्लान (HAP) तैयार और संचालित किए हैं। ये योजनाएँ देश में हीटवेव से संबंधित मृत्यु दर को कम करने में मजबूत निगरानी, पूर्व चेतावनी प्रणाली, अस्पताल की तैयारी, अंतर-एजेंसी समन्वय और जन जागरूकता अभियानों की भूमिका को रेखांकित करती हैं। इसके परिणामस्वरूप मृत्यु दर में काफी कमी आई है। हालाँकि, कुछ चिंताओं को दूर करने की पर्याप्त गुंजाइश है जैसे:

- समर्पित वित्तीय और कानूनी समर्थन का अभाव - कोई समर्पित जलवायु अनुकूलन निधि नहीं
- स्वैच्छिक स्थानीय कार्यान्वयन पर अत्यधिक निर्भरता
- सीमित सामुदायिक भागीदारी के साथ शीर्ष-स्तरीय योजना
- लिंग आधारित प्रभावों या स्थानीय ज्ञान का न्यूनतम एकीकरण

इन HAP को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, समावेशी डिजाइन और मजबूत क्रियान्वयन के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। ये कदम HAP को काफी परिवर्तनकारी बनाएंगे, जिससे बहुमूल्य जीवन बचेंगे और उत्पादकता बढ़ेगी।

संस्थागत कार्रवाई: आईएमडी और एनएचआरसी की प्रतिक्रियाएँ

भारत के प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा ने हाल ही में जिनेवा (जून 2025) में आयोजित अत्यधिक ताप जोखिम प्रशासन पर विशेष सत्र में मुख्य भाषण देते हुए भारत कीसंपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज का दृष्टिकोणइसमें स्वास्थ्य, कृषि, शहरी विकास, श्रम, बिजली, जल, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख मंत्रालयों के समन्वित प्रयासों को शामिल किया गया है।

इस बात पर जोर देते हुए कितैयारी से लेकर दीर्घकालिक शमन तक रणनीतिक बदलावडॉ. मिश्रा ने भारत में कार्यान्वित किए जा रहे कई नवीन उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिनमें शामिल हैं:

- कूल रूफ तकनीक और पैसिव कूलिंग सेंटर को बढ़ावा देना
- शहरी हरियाली का विस्तार
- पारंपरिक जल निकायों का पुनरुद्धार
- शहरी ताप द्वीप (UHI) आकलन को शहर नियोजन ढांचे में एकीकृत करना

एक महत्वपूर्ण नीति घोषणा में, डॉ. मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय और राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीआईएमएफ) अब हीटवेव न्यूनीकरण परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए अधिकृत हैं। यह परिवर्तन स्थानीय सरकारों, निजी क्षेत्र के अभिनेताओं, गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों को ऐसी पहलों को सह-वित्तपोषित करने में सक्षम बनाता है, जिससे जलवायु जोखिम शासन में साझा जिम्मेदारी और सामूहिक कार्रवाई का एक मॉडल विकसित होता है।

1998 की घातक हीटवेव के बाद से, IMD ने पूर्वानुमान लगाने में बड़ी प्रगति की है, जिससे मौतों में उल्लेखनीय गिरावट आई है। आज, यह जिला-स्तरीय, रंग-कोडित गर्मी के पूर्वानुमान जारी करता है, जो सुलभ मीडिया के माध्यम से रिक्शा चालकों और गिग श्रमिकों तक भी पहुँचता है। 2022 में, IMD ने सटीक तापमान मूल्यों का पूर्वानुमान लगाना शुरू किया और 'वार्म नाइट' अलर्ट पेश किए - रात के समय होने वाली मौतों की रिपोर्ट के बाद एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप।

आईएमडी स्वास्थ्य, जल, कृषि और आजीविका पर गर्मी के प्रभावों को ट्रैक करने के लिए 'जलवायु जोखिम भेद्यता सूचकांक' का भी उपयोग करता है। स्थानीय प्रतिक्रियाओं को तैयार करने के लिए यह डेटा-संचालित दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। मानव अधिकारों के निहितार्थों को समझते हुए, एनएचआरसी इंडिया ने 29 अप्रैल, 2025 को 11 राज्यों को पत्र लिखकर अपने राज्यों में सबसे कमज़ोर लोगों के लिए सुरक्षात्मक उपाय करने का आग्रह किया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के आधार पर, जिसमें 2018-2022 के बीच हीटस्ट्रोक से 3,566 मौतें (11 राज्य) दर्ज की गई थीं, एनएचआरसी ने संस्तुति की:

- स्कूलों और सामुदायिक भवनों में शीतलक आश्रयों की स्थापना
- अनौपचारिक बस्तियों में स्वच्छ जल, ओआरएस और वेंटिलेशन तक पहुंच सुनिश्चित करना
- बाहरी मजदूरों के लिए काम के घंटों का पुनर्निर्धारण
- पंखे और ठंडी छत सामग्री जैसे शीतलन सहायक उपकरण वितरित करना
- गर्मी से संबंधित बीमारियों के लिए मानक उपचार प्रोटोकॉल बनाना

भविष्य की सम्भावनाएँ

हीटवेव सीमा पार और प्रणालीगत जोखिम का प्रतिनिधित्व करते हैं, विशेष रूप से घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तकनीकी सहयोग, डेटा साझाकरण और हीट रेजिलिएशन पर संयुक्त अनुसंधान को बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें हीट रेजिलिएशन के लिए एक व्यवस्थित, एकीकृत और समावेशी दृष्टिकोण की भी आवश्यकता है क्योंकि अलग-अलग उपाय पर्याप्त नहीं होंगे।

हमें तत्काल कार्रवाई के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, जैसे:

- जलवायु-लचीला, कम लागत वाले आवास विकसित करना
- हीट-रिस्क बीमा और मिश्रित वित्त मॉडल का विस्तार करना
- भेद्यता हॉटस्पॉट का मानचित्रण करना और स्पष्ट जोखिम मार्ग बनाना
- जलवायु, स्वास्थ्य और मौसम डेटा को एकीकृत करने के लिए एक पर्यावरणीय स्वास्थ्य नियामक प्राधिकरण की स्थापना करना
- गैर-मृत्यु प्रभावों पर नज़र रखना, जैसे कि उत्पादकता में कमी, टीकाकरण में चूक और घरेलू हिंसा में वृद्धि

शहरी इलाकों में अधिक क्षेत्रों के कंक्रीटीकरण के कारण, शहरी क्षेत्रों में हीटवेव एक बड़ी चुनौती बन जाती है। वास्तव में, गरीब लोग और उनके परिवार सबसे अधिक असुरक्षित हैं। नई अर्थव्यवस्था में, गिग वर्कर्स को अपनी आजीविका को बनाए रखने के लिए बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए, शहरी गर्मी शमन रणनीतियों में ये शामिल हो सकते हैं:

- ठंडी छतों, हरित बुनियादी ढांचे का व्यापक उपयोग और शहरी जंगलों को बहाल करना
- चरम गर्मी के दौरान स्कूल और काम के शेड्यूल को समायोजित करना
- गर्मी से संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित करना
- निर्माण, रखरखाव और गिग वर्कर्स के लिए पर्याप्त सुविधाएँ।

ऊर्जा के मोर्चे पर, भारत अब 100 गीगावाट से ज़्यादा सौर ऊर्जा पैदा कर रहा है, लेकिन दिन के समय बढ़ती मांग नई चुनौतियाँ पेश कर रही है। छत पर सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा से चलने वाले कृषि पंप और एआई-संचालित बिजली प्रबंधन प्रणालियों को तेज़ी से बढ़ाया जाना चाहिए। स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए स्मार्ट ग्रिड, भंडारण अवसंरचना और मांग-पक्ष प्रबंधन महत्वपूर्ण हैं।

प्रकृति-आधारित समाधान - जैसे स्मार्ट मीटरिंग, डिस्कॉम क्षमता निर्माण, और स्थानीय हरित अवसंरचना - दीर्घकालिक लचीलापन बनाने के लिए कम लागत, उच्च प्रभाव वाले अवसर प्रदान करते हैं। वास्तव में, हीटवेव से प्रभावित बाहरी श्रमिकों के लिए अभिनव बीमा कवर, उनके जीवन और आजीविका को बचाने का एक तरीका है।

भारत में भीषण गर्मी के खिलाफ लड़ाई सिर्फ़ एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती नहीं है - यह एक मौलिक मानव अधिकार, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है। गर्मी के तनाव से सबसे कमज़ोर लोगों की रक्षा करना वैकल्पिक नहीं है। एक लचीले और समावेशी आधुनिक और विकसित भारत यानी विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए यह ज़रूरी है।

महत्वपूर्ण हस्तक्षेप

सभी राज्यों से जोखिम भरे कचरे की हाथ से सफाई को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 14 निर्देशों को लागू करने का आग्रह किया गया

जोखिम भरे कचरे की हाथ से सफाई की निरंतर प्रथा को देखते हुए, भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सभी मुख्य सचिवों और प्रशासकों को लिखे पत्र में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने ऐतिहासिक 2023 के फैसले (डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ, 2023 आईएनएससी 950) में जारी किए गए 14 निर्देशों का तत्काल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने को कहा है, जिसका उद्देश्य हाथ से मैला ढोने और खतरनाक सीवर सफाई की अमानवीय और जाति-आधारित प्रथा को खत्म करना है। आयोग ने कहा है कि यह प्रथा मानव अधिकारों, विशेष रूप से सम्मान के साथ जीने के अधिकार और कानून के समक्ष समानता के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है।

आयोग ने पाया है कि संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 29 जनवरी, 2025 को छह प्रमुख शहरों - दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा के बावजूद, देश के कुछ हिस्सों में खतरनाक कचरे की मैन्युअल सफाई की खबरें अभी भी आ रही हैं।

इसलिए, एनएचआरसी, भारत ने निम्नलिखित उपायों के तत्काल कार्यान्वयन की संस्तुति की है:

- स्थानीय प्राधिकारियों, ठेकेदारों और आम जनता सहित हितधारकों के बीच हाथ से मैला ढोने के निषेध और प्रासंगिक न्यायिक निर्देशों का व्यापक प्रसार;
- सरकारी अधिकारियों, सफाई कर्मचारियों और समुदायों के लिए हाथ से मैला ढोने के कानूनी, सामाजिक और मानव अधिकार आयामों पर संवेदनशीलता कार्यक्रम;
- वास्तविक समय अनुपालन और निवारण सुनिश्चित करने के लिए मजबूत निगरानी प्रणालियों की स्थापना;
- प्रगति पर नज़र रखने, कार्यान्वयन में अंतराल की पहचान करने तथा सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियमित अनुवर्ती कार्रवाई और समीक्षा तंत्र।
- आयोग ने संबंधित प्राधिकारियों से कार्रवाई रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने को कहा है।

स्वतः संज्ञान

मानव अधिकार उल्लंघन की घटनाओं के बारे में जानने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के लिए मीडिया रिपोर्ट बहुत उपयोगी साधन रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में इसने ऐसे कई मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लिया है और मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को राहत पहुंचाई है। मई, 2025 के दौरान आयोग ने मीडिया द्वारा बताए गए कथित मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों का स्वतः संज्ञान लिया और रिपोर्ट के लिए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए। इन मामलों का सारांश इस प्रकार है:

मध्याह्न भोजन खाने के बाद बच्चे हुए बीमार

(केस नं. 973/4/26/2025)

25 अप्रैल, 2025 को मीडिया में खबर आई कि 24 अप्रैल, 2025 को बिहार के पटना के मोकामा इलाके में एक सरकारी स्कूल में मिड-डे मील खाने से 100 से ज़्यादा बच्चे बीमार पड़ गए। बताया जा रहा है कि रसोइए ने बच्चों को खाना परोसने से पहले उसमें से मरा हुआ सांप निकाल दिया था। आयोग ने पाया है कि अगर यह सच है तो यह छात्रों के मानव अधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला है। इसलिए आयोग ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव और पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में भी जानकारी शामिल होने की अपेक्षा है।

लापता लड़की को ढूंढने में पुलिस की निष्क्रियता

(केस नं. 838/12/0/2025)

25 अप्रैल, 2025 को मीडिया ने बताया कि मध्य प्रदेश के भोपाल में कोह-ए-फ़िज़ा इलाके में एक अंडर-ब्रिज से छह साल की बच्ची के लापता होने के अठारह दिन बाद भी पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है।

कथित तौर पर, लापता बच्ची की बेघर माँ, जिसके आठ बच्चे हैं, को अपनी बेटी के लापता होने में उसके एक रिश्तेदार की संलिप्तता का संदेह है, लेकिन पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है और इस मामले में आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

कथित तौर पर, यह लापता होने का सिर्फ़ एक मामला नहीं है, मध्य प्रदेश पुलिस के आंकड़ों के

अनुसार पिछले तीन सालों में राज्य में 3,400 से ज़्यादा महिलाएँ और लड़कियाँ लापता हुई हैं। कथित तौर पर, सीसीटीवी नेटवर्क खराब है, त्वरित प्रतिक्रिया दल कार्रवाई में नदारद हैं, और इकाइयों के बीच कोई समन्वय नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, लापता लड़कियों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए राज्य पुलिस द्वारा पिछले साल 'ऑपरेशन मुस्कान' नाम से शुरू किए गए अभियान का कोई नतीजा नहीं निकला है।

आयोग ने पाया कि यदि समाचार रिपोर्ट की सामग्री सत्य है, तो यह मानव अधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। इसलिए, आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

प्रोपेलेंट मिक्सिंग यूनिट में विस्फोट से तीन श्रमिकों की मौत और तीन अन्य घायल

(केस संख्या 343/36/30/2025)

29 अप्रैल, 2025 को मीडिया ने बताया कि तेलंगाना के यदाद्री भोंगीर जिले के कटेपल्ली गांव में एक विस्फोटक निर्माण संयंत्र की प्रणोदक मिश्रण इकाई में हुए विस्फोट में तीन श्रमिकों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए।

आयोग ने तेलंगाना सरकार के मुख्य सचिव और तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में घायल व्यक्तियों की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में भी जानकारी शामिल होने की अपेक्षा है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, विस्फोट के कारण प्लांट की मिक्सिंग यूनिट संरचना पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। बताया जा रहा है कि कंपनी वाणिज्यिक और डीआरडीओ समेत प्रमुख संगठनों के लिए विस्फोटक बनाती रही है।

प्रोफेसर की गिरफ्तारी और रिमांड

(केस नं.661/7/19/2025)

20 मई, 2025 को मीडिया ने हरियाणा में अशोका विश्वविद्यालय (मान्य विश्वविद्यालय) के एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी और हिरासत में लिए जाने के बारे में रिपोर्ट की। आयोग ने पाया कि रिपोर्ट, जिसमें उन आरोपों का सार शामिल है जिनके आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया था, प्रथम दृष्ट्या यह खुलासा करती है कि उक्त प्रोफेसर के मानव अधिकारों और स्वतंत्रता का उल्लंघन किया गया था। इसलिए, आयोग ने रिपोर्ट की गई घटना का स्वतः संज्ञान लेने के लिए इसे उपयुक्त मामला माना है और हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

पत्रकार की हत्या

(केस नं. 692/7/7/2025)

19 मई, 2025 को मीडिया ने बताया कि 18 मई, 2025 को हरियाणा के झज्जर जिले के लुहारी गांव में एक पत्रकार की उसके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि एक ऑनलाइन न्यूज पोर्टल के साथ काम करने वाला पत्रकार रात के खाने के बाद टहलने के लिए निकला था, तभी अज्ञात हमलावरों ने उसे गोली मार दी और मौके से भाग गए। इसलिए, इसने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को एक नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसमें मामले में जांच की स्थिति भी शामिल होने की अपेक्षा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण पीड़ित को पास के अस्पताल ले गए, जहां से बाद में उसे गुरुग्राम के दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई।

सीवेज टैंक की सफाई करते समय तीन श्रमिकों की मौत, एक अन्य की हालत गंभीर

(केस नं. 819/22/52/2025)

21 मई, 2025 को मीडिया ने बताया कि 19 मई, 2025 को तमिलनाडु के तिरुप्पुर जिले में एक निजी औद्योगिक इकाई में बिना किसी सुरक्षात्मक गियर के इसे साफ करने के लिए एक सीवेज टैंक में घुसने के बाद तीन श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य की दम घुटने से हालत गंभीर हो गई।

पुलिस हिरासत में व्यक्ति की मौत

(केस संख्या 399/34/3/2025-एडी)

22 मई, 2025 को मीडिया ने खबर दी कि झारखंड के देवघर जिले में 21 मई, 2025 को पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उसे साइबर अपराध के सिलसिले में पूछताछ के लिए उसके घर से पलाजोरी पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। पीड़ित के परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि पुलिस हिरासत में उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मौत हो गई।

आयोग ने पाया है कि अगर समाचार रिपोर्ट की सामग्री सच है, तो यह पीड़ित के मानव अधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। इसलिए, आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसमें मृत्यु के कारण के साथ-साथ जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट शामिल होने की अपेक्षा है।

आयोग ने इस बात को भी गंभीरता से लिया है कि जिला पुलिस ने हिरासत में हुई इस मौत के बारे में कोई सूचना नहीं भेजी, जबकि आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार घटना के 24 घंटे के भीतर सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन को सूचना भेजनी जरूरी थी। इसलिए आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी से इस चूक के लिए स्पष्टीकरण भी मांगा है।

पत्रकार पर हमला

(केस नं. 595/18/2/2025)

26 मई, 2025 को मीडिया ने बताया कि 25 मई, 2025 को ओडिशा के बलांगीर जिले के कुलथीपाली गांव में एक टीवी पत्रकार पर लोगों के एक समूह ने शारीरिक हमला किया। कथित तौर

पर, जब वह गांव में एक निर्माण स्थल पर गया था, जिसके बारे में लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, तो बदमाशों ने उस पर अचानक हमला कर दिया। पीड़ित के पैर और हाथ बांध दिए गए और उसे खंभे से बांधकर पीटने से पहले पूरे गांव में घुमाया गया। अपराधियों ने पीड़ित के मोबाइल फोन और वीडियो कैमरा भी तोड़ दिए और उसे इस घटना या चल रहे निर्माण कार्य के बारे में किसी को कुछ भी न बताने की धमकी दी। इसलिए, इसने ओडिशा के पुलिस महानिदेशक को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।

प्रस्तावित बांध निर्माण पर विरोध प्रदर्शन

(केस नं. 18/2/2/2025)

23 मई, 2025 को मीडिया ने बताया कि निवासी प्रस्तावित बांध निर्माण का विरोध कर रहे हैं, उन्हें आशंका है कि इससे कई लोगों का विस्थापन हो सकता है और अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में आजीविका और पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कथित तौर पर, स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने राज्य के सियांग जिले के विभिन्न इलाकों में केंद्रीय सशस्त्र बलों को तैनात किया है।

आयोग ने पाया है कि अगर समाचार रिपोर्ट की सामग्री सच है, तो यह मानव अधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा उठाती है। इसलिए, इसने अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट के अनुसार, मानव अधिकार कार्यकर्ता और सियांग स्वदेशी किसान मंच के संयोजक ने बेगिंग गांव में बांध निर्माण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जिसमें लगभग 400 लोगों ने भाग लिया।

राहत के लिए संस्तुतियां

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों को संबोधित करना, पीड़ितों की शिकायतों को सुनना और ऐसे मामलों में उचित राहत की संस्तुति करना है। यह नियमित रूप से ऐसे विभिन्न मामलों को उठाता है और पीड़ितों को राहत देने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश और संस्तुतियां देता है।

मई, 2025 में, सदस्य पीठों द्वारा प्रतिदिन लिए गए मामलों की संख्या के अलावा, पूर्ण आयोग द्वारा 15 मामलों की सुनवाई की गई, पीठ- I द्वारा 40 मामलों की, पीठ- II और पीठ- III द्वारा 20-20 मामलों की सुनवाई की गई। 26 मामलों में पीड़ितों या उनके निकट संबंधियों (NoK) के लिए 122.75 लाख रुपये से अधिक की मौद्रिक राहत की संस्तुति की गई, जिसमें पाया गया कि लोक सेवकों ने या तो मानव अधिकारों का उल्लंघन किया था या उनकी सुरक्षा में लापरवाही बरती थी। इन मामलों का विशिष्ट विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए केस नंबर को लॉग करके एनएचआरसी की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है:

क्र. सं.	केस संख्या	शिकायत की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	प्राधिकरण
1.	708/1/5/2023-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	5.00	आंध्र प्रदेश
2.	4408/4/8/2023-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	3.00	बिहार
3.	1713/7/9/2020-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	5.00	हरयाणा
4.	90/34/15/2022-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	5.00	झारखंड
5.	31/15/11/2022-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	12.00	मेघालय
6.	2954/18/10/2022-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	5.00	ओडिशा
7.	261/19/15/2024-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	5.00	पंजाब
8.	2722/20/1/2022-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	5.00	राजस्थान
9.	658/22/13/2021-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	5.00	तमिलनाडु
10.	17137/24/56/2023-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	5.00	उत्तर प्रदेश
11.	20765/24/27/2018-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	5.00	उत्तर प्रदेश

क्र. सं.	केस संख्या	शिकायत की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	प्राधिकरण
12.	1449/25/22/2023-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	5.00	पश्चिम बंगाल
13.	1873/36/3/2020-ईस्वी	न्यायिक हिरासत में मौत	5.00	तेलंगाना
14.	106/3/26/2022-पीसीडी	पुलिस हिरासत में मौत	5.00	असम
15.	1052/6/18/2017-पीसीडी	पुलिस हिरासत में मौत	5.00	गुजरात
16.	1008/25/13/2023-पीसीडी	पुलिस हिरासत में मौत	5.00	पश्चिम बंगाल
17.	3531/4/6/2021-ई.	पुलिस हिरासत में मौत	5.00	बिहार
18.	5/16/5/2020-ईस्वी	पुलिस हिरासत में मौत	5.00	मिजोरम
19.	393/33/2/2024	बिजली का करंट लगने से मौत	4.00	छत्तीसगढ
20.	3225/7/6/2022	बिजली का करंट लगने से मौत	5.00	हरयाणा
21.	11708/24/27/2020	बिजली का करंट लगने से मौत	3.00	उत्तर प्रदेश।
22.	18/19/6/2025	सत्ता का दुरुपयोग	0.75	पंजाब
23.	6702/30/8/2022	असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या	1.00	दिल्ली
24.	292/34/17/2023	पुलिस हिरासत में मौत	4.00	झारखंड
25.	584/34/22/2023	भीड़ द्वारा हत्या	3.00	झारखंड
26.	16697/24/28/2022	केंद्र/राज्य सरकार के अधिकारियों की निष्क्रियता	7.00	उत्तर प्रदेश।

पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान

मई, 2025 के दौरान आयोग ने विभिन्न लोक प्राधिकरणों से भुगतान के साक्ष्य के साथ अनुपालन रिपोर्ट या अन्य अवलोकन /निर्देश की प्राप्ति होने पर 08 मामलों को बंद कर दिया। आयोग की संस्तुतियों पर पीड़ितों या उनके निकटतम संबंधी को ₹ 42 लाख की राशि का भुगतान किया गया। इन मामलों का विशिष्ट विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए केस नंबर को लॉग करके एनएचआरसी की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है:

क्र. सं.	केस संख्या	शिकायत की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	प्राधिकरण
1.	494/6/1/2024-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	5.00	गुजरात
2.	26162/24/14/2019-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	5.00	उत्तर प्रदेश।
3.	4757/25/5/2021-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत	5.00	पश्चिम बंगाल
4.	469/34/17/2022-पीसीडी	पुलिस हिरासत में मौत	10.00	झारखंड
5.	383/1/22/2022-ई.	पुलिस हिरासत में मौत	5.00	आंध्र प्रदेश
6.	1257/22/36/2021-ईस्वी	पुलिस हिरासत में मौत	7.50	तमिलनाडु
7.	1121/4/26/2023	गैरकानूनी हिरासत	0.50	बिहार
8.	393/33/2/2024	बिजली का करंट लगने से मौत	4.00	छत्तीसगढ

केस स्टडीज

कई मामलों में, आयोग ने संबंधित राज्य अधिकारियों के दावों के विपरीत पाया कि पीड़ितों के मानव अधिकारों का उल्लंघन उनकी गैरकानूनी कार्रवाई, निष्क्रियता या चूक के कारण हुआ था। इसलिए, आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत न केवल मामले-दर-मामला आधार पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की संस्तुति की, बल्कि मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों या उनके परिजनों को आर्थिक राहत देने की भी संस्तुति की। आयोग को संबंधित राज्य अधिकारियों द्वारा अपनी सिफारिशों के अनुपालन की रिपोर्ट भी मिली। इनमें से कुछ मामलों का सारांश इस प्रकार है:

पुलिस हिरासत में मौत

(केस संख्या 469/34/17/2022-पीसीडी)

यह मामला 24 फरवरी, 2022 को झारखंड के साहिबगंज जिले के तालझारी थाने की हिरासत में 42 वर्षीय व्यक्ति की मौत से सम्बंधित है। अपने नोटिस के जवाब में संबंधित अधिकारियों से प्राप्त रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर आयोग ने पाया कि मृतक के शरीर पर कई बाहरी चोटें थीं। यहां तक कि जांच मजिस्ट्रेट ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पुलिस हिरासत में पीड़ित की मौत स्वाभाविक नहीं थी और ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस अधिकारियों/प्रभारी अधिकारी द्वारा उसे शारीरिक रूप से परेशान/अत्याचार किया गया था।

आयोग ने यह भी पाया कि 21 फरवरी, 2025 को पीड़ित को उठाकर ले जाने, उसे प्रताड़ित करने और उसके बाद पुलिस हिरासत में उसकी मौत के आरोप से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, पुलिस डीके बसु मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करने में विफल रही और पुलिस लॉक-अप में मृतक को कोई कानूनी सहायता प्रदान नहीं की गई, न ही उसकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद पीड़ित की मेडिकल जांच की गई। इसलिए, आयोग ने संस्तुति की कि झारखंड सरकार पीड़ित के निकटतम सम्बन्धी को राहत के रूप में 10 लाख रुपये का भुगतान करे, जिसका भुगतान किया गया।

रिमांड कैदी की मौत

(केस संख्या 1112/20/29/2019-एडी)

6 जून, 2019 को राजस्थान के उदयपुर में खडोल उप-जेल की हिरासत में एक 40 वर्षीय रिमांड कैदी की आत्महत्या से संबंधित है। अपने नोटिस के जवाब में संबंधित अधिकारियों से प्राप्त रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर, आयोग ने पाया कि मृतक ने अपने तौलिये की मदद से सेल के लोहे के गेट से खुद को लटका लिया और दम घुटने के कारण उसकी मौत हो गई। जांच मजिस्ट्रेट ने निष्कर्ष निकाला कि मृतक तनाव में था क्योंकि उसकी अनुपस्थिति में घर पर उसकी गर्भवती पत्नी की देखभाल करने वाला कोई नहीं था और उसे उदयपुर सेंट्रल जेल में स्थानांतरित किया जाना था। जांच मजिस्ट्रेट ने मृतक की मौत पर किसी भी लापरवाही या गड़बड़ी से इनकार किया।

आयोग ने पाया कि कैदियों की सेहत और सुरक्षा जेल अधिकारियों की जिम्मेदारी है। जेल अधिकारियों की ओर से किसी भी तरह की चूक या लापरवाही के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। इसलिए आयोग ने झारखंड सरकार से पीड़ित के परिजनों को 2 लाख रुपए की राहत राशि देने की संस्तुति की, जिसका भुगतान कर दिया गया। यह भी बताया गया कि दोषी जेल अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है।

घटनास्थल पूछताछ

केस नंबर 330/7/8/2022

13 से 16 मई , 2025 तक एनएचआरसी, भारत की टीम ने हरियाणा के जींद में पुलिस हिरासत में यातना के कारण हुई मौत के मामले में घटनास्थल पर जाकर जांच की।

केस नं. 791/12/8/2025-WC

13 से 17 मई , 2025 तक एनएचआरसी, भारत की टीम ने मध्य प्रदेश के भोपाल में एक निजी कॉलेज की छात्राओं के खिलाफ कथित संगठित अपराध के मामले में घटनास्थल पर जाकर जांच की। कथित तौर पर आरोपियों ने छात्राओं से दोस्ती की और उन्हें प्रेम जाल में फंसाया, उनके साथ बलात्कार किया और अश्लील वीडियो बनाए।

केस नंबर 343/36/26/2021-एडी

23 से 25 मई, 2025 और 26 से 28 मई , 2025 तक, एनएचआरसी, भारत की टीम ने शोलापुर, महाराष्ट्र और संगारेड्डी जिले, तेलंगाना में पुलिस द्वारा यातना के कारण हिरासत में हुई मौत के मामले में घटनास्थल पर जाकर जांच की।

केस नं. 11/3/8/2023-जेसीडी

26 से 28 मई , 2025 तक, एनएचआरसी, भारत की टीम ने एक कैदी की मौत के मामले में मौके पर जांच की, जिसकी असम के कार्बी आंगलोंग स्थित हैमरेन जिला जेल में प्रवेश के एक दिन के भीतर मृत्यु हो गई थी।

केस नंबर 102/3/9/2023-ईडी

29 से 30 मई , 2025 तक एनएचआरसी, भारत की टीम ने असम के कामरूप जिले में पुलिस कार्रवाई के दौरान एक आरोपी की मुठभेड़ में मौत के मामले की घटनास्थल पर जाकर पर जांच की।

क्षेत्रीय दौरे

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत के अध्यक्ष, सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर देश के विभिन्न स्थानों का दौरा करते हैं ताकि मानव अधिकारों की स्थिति का आकलन किया जा सके और संबंधित राज्य सरकारों और उनके संबंधित अधिकारियों द्वारा आयोग की सलाह, दिशा-निर्देशों और सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति का पता लगाया जा सके। वे आश्रय गृहों, जेलों, पर्यवेक्षण गृहों आदि का भी दौरा करते हैं और सरकारी अधिकारियों को मानव अधिकारों के हित में आवश्यक प्रयास करने के लिए जागरूक करते हैं। मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों के शीघ्र निपटान में आयोग की मदद करने के लिए राज्य अधिकारियों द्वारा समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर भी जोर दिया जाता है।

एनएचआरसी, भारत के सदस्य का दौरा

15 मई, 2025 को , एनएचआरसी, भारत की सदस्या , श्रीमती विजया भारती सयानी ने आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी जिले में कई स्थानों का दौरा किया। उन्होंने श्री प्रकाश विद्या निकेतन में 'मौलिक अधिकार और एनएचआरसी की भूमिका' पर एक कार्यक्रम को संबोधित किया। छात्रों सहित लगभग 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इससे पहले, उन्होंने जिले के आदिवासी गाँवों का दौरा किया और 14 मई, 2025 को पोलावरम परियोजना के विस्थापित लोगों से मुलाकात की। उन्होंने पीने के पानी, स्वास्थ्य सेवा, सड़क, परिवहन, अस्पताल, स्कूल, शौचालय आदि की कमी सहित मानव अधिकार उल्लंघन के मुद्दों पर प्रकाश डाला। उन्होंने अधिकारियों से उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा। उसी दिन, उन्होंने जिले के आंगनवाड़ी शिक्षकों से मुलाकात की। उन्होंने कम वेतन, छुट्टी न मिलने और सुरक्षा की कमी सहित कई मुद्दे उठाए। लगभग 150 शिक्षक मौजूद थे।

▶ एनएचआरसी, भारत की सदस्य, श्रीमती विजया भारती सयानी आंध्र प्रदेश में पोलावरम परियोजना के विस्थापित लोगों के साथ बातचीत करती हुईं

विशेष प्रतिवेदक और विशेष मॉनीटर

भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानव अधिकार स्थितियों की निगरानी के लिए 14 विशेष प्रतिवेदक नियुक्त किए हैं। वे आश्रय गृहों, जेलों, पर्यवेक्षण गृहों और इसी तरह के संस्थानों का दौरा करते हैं, आयोग के लिए रिपोर्ट संकलित करते हैं जिसमें भविष्य की कार्रवाई के लिए उनके अवलोकन और सुझाव शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त, आयोग ने 21 विशेष मॉनीटर्स को नियुक्त किया है जिन्हें विशिष्ट विषयगत मानव अधिकार मुद्दों की देखरेख करने और आयोग को अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट करने का काम सौंपा गया है। मई, 2025 के दौरान, विशेष प्रतिवेदकों और मॉनीटर्स ने कई स्थानों का दौरा किया।

26 से 31 मई , 2025 तक, डॉ प्रदीप कुमार नायक ने राज्य कुष्ठ अधिकारी (एसएलओ), बिहार से मुलाकात की और राज्य में कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों और अन्य कमज़ोर समूहों के लिए मानव अधिकारों की स्थिति और कल्याणकारी उपायों की स्थिति का आकलन किया। इस सिलसिले में, उन्होंने राज्य के पटना, भोजपुर, अरवल और औरंगाबाद ज़िलों का भी दौरा किया और स्वास्थ्य और कुष्ठ कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, आजीविका, महिला और बाल विकास, एससी/एसटी, अल्पसंख्यक और ओबीसी के जिला स्तरीय अधिकारियों और अन्य विभागों, अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामान्य समुदायों और कुष्ठ कॉलोनियों के अधिकारियों से मुलाकात की।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC), भारत को मानव अधिकारों की रक्षा और संवर्धन करने तथा इसके बारे में जागरूकता पैदा करने का दायित्व सौंपा गया है। इस उद्देश्य के लिए, यह अपने आउटरीच और मानव अधिकार संवेदनशीलता का विस्तार करने के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम, सहयोगात्मक प्रशिक्षण और विभिन्न अन्य गतिविधियाँ आयोजित कर रहा है। इंटर्नशिप व्यक्तिगत रूप से और साथ ही ऑनलाइन भी आयोजित की जाती हैं। ऑनलाइन इंटर्नशिप यह सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की जाती है कि दूरदराज के क्षेत्रों के छात्र बिना किसी यात्रा और दिल्ली में रहने के खर्च के इसमें शामिल हो सकें। इसके अलावा, आयोग सभी संस्थानों में मानव अधिकारों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने के अपने मिशन के रूप में विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों के लिए अनुरूप मानव अधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार और सम्मान की रक्षा की जाए।

ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप (ओएसटीआई)

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने 13 से 23 मई, 2025 तक दो सप्ताह का ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप (ओएसटीआई) कार्यक्रम आयोजित किया। 21 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों के दूरदराज के क्षेत्रों के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 69 छात्रों ने इसे पूरा किया। विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों के लिए आयोग के इस प्रतिष्ठित इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए कुल 1,795 आवेदकों में से 80 छात्रों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इंटर्नशिप का उद्घाटन 13 मई, 2025 को एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि युवा भारत की 5,000 साल पुरानी सभ्यतागत सहानुभूति, करुणा और न्याय के सिद्धांतों के पथप्रदर्शक हैं। इससे पहले, इंटर्नशिप का उद्घाटन करते हुए, एनएचआरसी, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल ने अपने संबोधन में कहा कि युवा भारत की 5,000 साल पुरानी सभ्यतागत भावना, सहानुभूति, करुणा और न्याय के पथ-प्रदर्शक हैं। उन्होंने छात्रों से न्याय, समानता और सम्मान के दूत के रूप में सेवा करने का आग्रह किया और उन्हें भारत के संवैधानिक ढांचे को समझने और मानव अधिकारों और सभी कीगरिमा की वकालत करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने छात्रों से प्रतिक्रिया पर चिंतन पर ध्यान केंद्रित करने और जीवन के उद्देश्य की खोज के साधन के रूप में विशेषज्ञों से सीखने का भी आग्रह किया। उन्होंने इस ऑनलाइन कार्यक्रम के औचित्य को भी समझाया ताकि दूर-दराज और दूरस्थ क्षेत्रों के छात्र, जो दिल्ली की यात्रा नहीं कर सकते और यहां नहीं रह सकते, मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं के बारे में सीख सकें। उन्होंने छात्रों से इस अवसर का पूरा लाभ उठाने और मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए खुद को तैयार करने की अपील की। उन्होंने देश में मानव अधिकारों के विकास, संवैधानिक प्रावधानों, मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कार्यप्रणाली, सताए गए लोगों को शरण देने के लिए भारत की सभ्यतागत और सांस्कृतिक प्रकृति पर प्रकाश डाला।

समापन सत्र को संबोधित करते हुए, एनएचआरसी, भारत की सदस्या , श्रीमती विजया भारती सयानी ने इंटर्नशिप के सफल समापन पर छात्रों को बधाई दी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वे मानव अधिकारों

▶ एनएचआरसी, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल ओएसटीआई के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए

▶ ऑनलाइन प्रशिक्षुओं का एक समूह

▶ एनएचआरसी, भारत की सदस्य, श्रीमती विजया भारती सयानी ओएसटीआई कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित करती हुईं

के विभिन्न पहलुओं के बारे में इस जानकारी का सर्वोत्तम उपयोग करेंगे, साथ ही उनसे सहानुभूति अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मानव अधिकार सम्मान, समानता और स्वतंत्रता के बारे में हैं। वे यह सुनिश्चित करने के बारे में हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, बिना किसी डर के, अवसरों तक समान पहुँच के साथ और सम्मान के साथ रह सके। सदस्य ने इस बात पर जोर दिया कि मानव अधिकारों के उल्लंघन के प्रति शून्य सहिष्णुता हासिल करना आगे बढ़ने का एक तरीका है। इस संदर्भ में, उन्होंने आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के 14 गाँवों की आदिवासी आबादी की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित किया, जो पोलावरम परियोजना के कारण विस्थापित हो गए थे, और विकल्प के रूप में उन्हें प्रदान की गई खराब निर्मित आवास इकाइयाँ पीने के पानी, शौचालय, बिजली सहित मानव जीवन की आवश्यकताओं से वंचित थीं। अधिकारियों से कई अनुरोध किए जाने के बावजूद उनके नए परिवेश में स्वास्थ्य सेवा, सड़क, परिवहन, अस्पताल, स्कूल आदि का अभाव है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से आग्रह किया कि वे अपने मुद्दों का यथाशीघ्र समाधान करें तथा स्वीकार करें कि मानव अधिकार एक वास्तविकता है, न कि अमूर्त विचार।

एनएचआरसी, भारत के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार ने इंटर्नशिप रिपोर्ट प्रस्तुत की। एनएचआरसी के वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषज्ञों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों द्वारा आयोजित 35 सत्रों में छात्रों को मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि छात्रों को दिल्ली में तिहाड़ जेल, पुलिस स्टेशन और आशा किरण आश्रय गृह का वर्चुअल टूर भी कराया गया, ताकि वे मानव अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में उनकी कार्यप्रणाली और संबंधित चुनौतियों को समझ सकें। उन्होंने पुस्तक समीक्षा, समूह शोध परियोजना प्रस्तुति और भाषण प्रतियोगिता के विजेताओं की भी घोषणा की।

छात्रों के ज्ञानवर्धक दौरे

कॉलेज स्तर के छात्रों और उनके संकायों के बीच मानव अधिकार जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत उन्हें मानव अधिकारों, उनके संरक्षण तंत्र और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (पीएचआरए), 1993 के अनुरूप इस उद्देश्य के लिए इसके कामकाज को समझने के लिए आयोग का दौरा करने के लिए आमंत्रित करता है। मई, 2025 के दौरान, सात कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के 107 छात्रों और संकाय सदस्यों ने आयोग का दौरा किया। उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विधि और अन्वेषण प्रभागों और शिकायत प्रबंधन प्रणाली के कामकाज के बारे में जानकारी दी गई। दौरे इस प्रकार थे:

7 मई, 2025 को बिमल चंद्र कॉलेज ऑफ लॉ, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के 64 छात्रों और 3 संकाय सदस्यों ने एनएचआरसी, भारत का दौरा किया।

21 मई, 2025 को गलगोटिया विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश के 38 छात्रों और 2 संकाय सदस्यों के एक बैच ने एनएचआरसी, भारत का दौरा किया।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एनएचआरसी

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर विचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेता रहता है। कई विदेशी संस्थागत प्रतिनिधि आयोग का दौरा करते हैं और मानव अधिकारों का संवर्धन एवं संरक्षण / .करने के लिए आयोग के कामकाज को समझने के लिए अध्यक्ष, सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलते हैं। आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारी आयोग की उपलब्धियों पर अपने विचार साझा करने, अन्य एनएचआरआई के साथ बातचीत करने और तेजी से विकसित हो रही दुनिया में मानव अधिकारों के लिए चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी जाते हैं।

ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव

मई, 2025 में, एनएचआरसी, भारत के संयुक्त सचिव, श्री समीर कुमार ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय बैठकों में आयोग का प्रतिनिधित्व किया, जो इस प्रकार थे;

- 6 मई, 2025 को , उन्होंने मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीयता का अधिकार: कानून और व्यवहार में राष्ट्रीयता अधिकारों में समानता' पर ऑनलाइन विशेषज्ञ कार्यशाला में भाग लिया, जिसमें 135 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 12 से 15 मई , 2025 तक संयुक्त सचिव ने विकास के अधिकार पर अंतर-सरकारी कार्य समूह के 26 वें ऑनलाइन सत्र में भाग लिया, जिसमें 25 देशों के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान (एनएचआरआई) ने भाग लिया।
- इसके अलावा, 20 मई, 2025 को उन्होंने एपीएफ फोरम काउंसिलर्स मीटिंग में भी भाग लिया, जिसमें 22 देशों ने भाग लिया।
- 21 और 28 मई , 2025 को श्री समीर कुमार ने प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर व्यापार और मानव अधिकारों पर गनहरी कार्य समूह की बैठक में भाग लिया। बैठक का आयोजन फिलीपींस के मानव अधिकार आयोग द्वारा किया गया था। एनएचआरसी, भारत के अलावा, बैठक में भाग लेने वाले 65 NHRI में से कुछ अन्य मोरक्को, फ्रांस, कतर, अर्जेंटीना, इक्वाडोर और उत्तरी आयरलैंड शामिल थे।

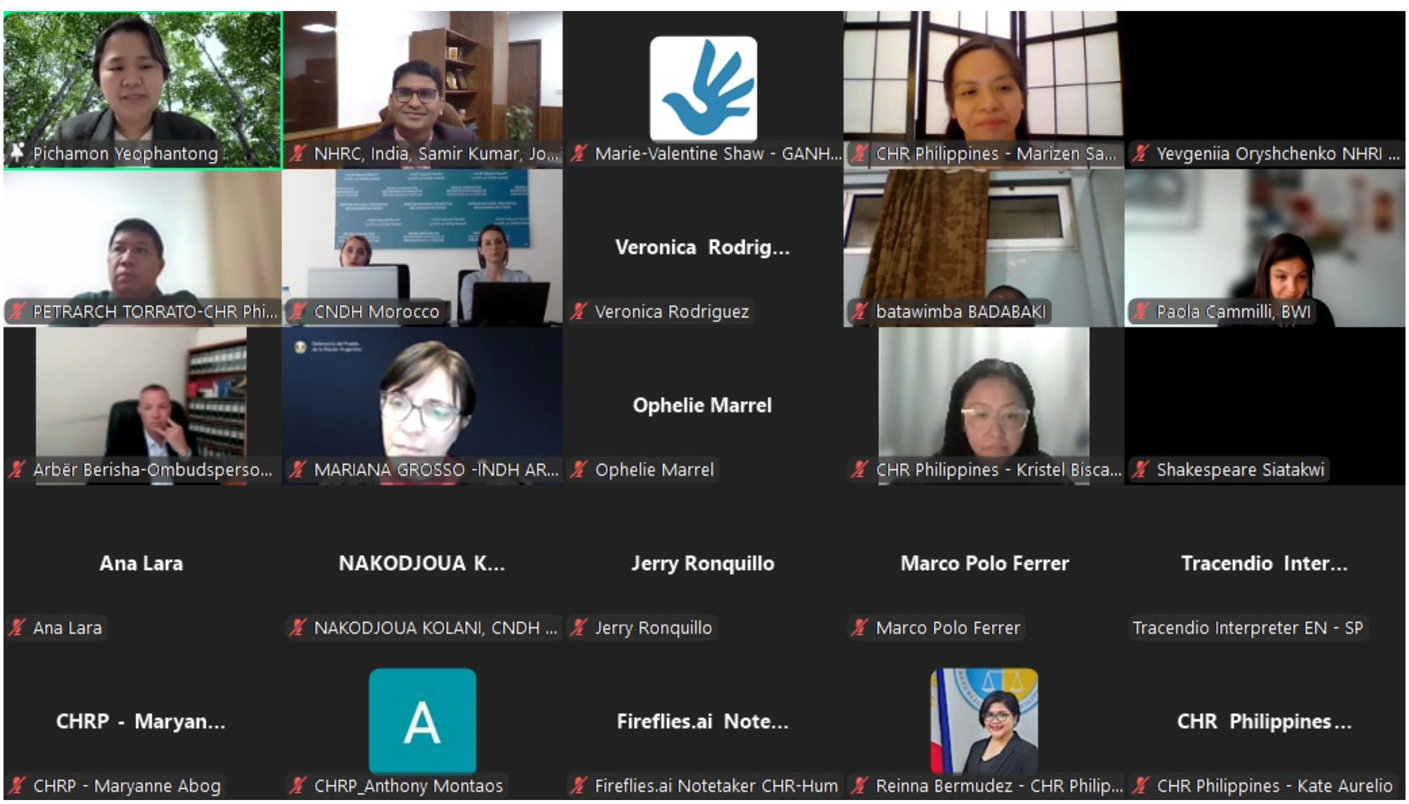

▶ एनएचआरसी, भारत के संयुक्त सचिव, श्री समीर कुमार प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर व्यापार और मानवाधिकारों पर गनहरी कार्य समूह की बैठक में भाग लेते हुए

प्रतिनिधिमंडल का दौरा

15 मई, 2025 को भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त महामहिम सुश्री लिंडी कैमरून ने एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन और महासचिव श्री भरत लाल से मुलाकात की और मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं और आयोग के कामकाज पर चर्चा की। उन्होंने श्री भरत लाल के साथ दोनों देशों के आपसी हितों के विभिन्न मुद्दों पर भी गहन चर्चा की। उन्होंने एनएचआरसी, भारत की गतिविधियों और देश में प्रत्येक व्यक्ति के मानव अधिकारों की संरक्षण और संवर्धन के लिए किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला।

▶ एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन और महासचिव, श्री भरत लाल भारत में यूके की उच्चायुक्त, महामहिम सुश्री लिंडी कैमरुन के साथ बातचीत करते हुए

एनएचआरसी ने मानव अधिकारों पर अपनी 11 वीं लघु फिल्म प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जारी की

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मानव अधिकारों पर लघु फिल्मों के लिए अपनी 11वीं वार्षिक प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियाँ जारी की हैं। प्रविष्टियाँ प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2025 है। प्रथम , द्वितीय और तृतीय सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार राशि क्रमशः 2 लाख रुपये, 1 लाख 50 हजार रुपये और 1 लाख रुपये होगी। आयोग, तीन नकद पुरस्कारों, प्रमाण पत्रों और ट्रॉफी के अलावा, अधिकतम चार (4) फिल्मों को 50 हजार रुपये के नकद पुरस्कार के साथ "विशेष उल्लेख का प्रमाण पत्र" देने पर भी विचार कर सकता है, यदि जूरी द्वारा ऐसा करने की संस्तुति की जाती है।

लघु फिल्म पुरस्कार योजना की शुरुआत 2015 में आयोग द्वारा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य भारतीय नागरिकों के सिनेमाई और रचनात्मक प्रयासों को प्रोत्साहित करना और मान्यता देना है, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, मानव अधिकारों का संवर्धन एवं संरक्षण करने के लिए। पिछली सभी प्रतियोगिताओं में, आयोग को देश के विभिन्न हिस्सों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली।

लघु फ़िल्में अंग्रेज़ी या किसी भी भारतीय भाषा में हो सकती हैं, जिनमें अंग्रेज़ी में उपशीर्षक होंगे। लघु फ़िल्म की अवधि न्यूनतम 3 मिनट और अधिकतम 10 मिनट होनी चाहिए। फ़िल्में डॉक्यूमेंट्री, वास्तविक कहानियों का नाट्य रूपांतरण या एनीमेशन सहित किसी भी तकनीकी प्रारूप में बनाई गई काल्पनिक कृति हो सकती हैं, जो निम्नलिखित विषयों पर आधारित विभिन्न सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकारों के दायरे में हो:

- जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान का अधिकार
- बंधुआ और बाल श्रम, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों को कवर करना
- बुज़ुर्ग व्यक्तियों के चुनौतियों में अधिकार
- दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार
- हाथ से मैला ढ़ोना, स्वास्थ्य सेवा का अधिकार
- मौलिक स्वतंत्रता के मुद्दे
- मानव दुर्व्यापार
- घरेलू हिंसा

- पुलिस अत्याचारों के कारण मानव अधिकारों का उल्लंघन
- हिरासत में हिंसा और यातना
- सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ
- खानाबदोश और विमुक्त जनजातियों के अधिकार
- जेल सुधार
- शिक्षा का अधिकार
- स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, जिसमें पृथ्वी ग्रह पर जीवन को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय खतरे भी शामिल हैं
- काम का अधिकार
- कानून के समक्ष समानता का अधिकार
- भोजन और पोषण सुरक्षा का अधिकार
- LGBTQI+ के अधिकार
- मानव निर्मित या प्राकृतिक आपदा के कारण विस्थापन के कारण मानव अधिकारों का उल्लंघन
- भारतीय विविधता में मानव अधिकारों और मूल्यों का जश्न मनाना
- जीवन और जीवन स्तर में सुधार लाने वाली विकास पहल आदि।

प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा भेजी जा सकने वाली प्रविष्टियों की संख्या पर कोई प्रवेश शुल्क या प्रतिबंध नहीं है। हालाँकि, प्रतिभागियों को प्रत्येक फ़िल्म को विधिवत भरे हुए प्रविष्टि फ़ॉर्म के साथ अलग से भेजना होगा। प्रवेश फ़ॉर्म के साथ नियम और शर्तें एनएचआरसी की वेबसाइट: www.nhrc.nic.in से डाउनलोड की जा सकती हैं। फ़िल्म, विधिवत भरा हुआ प्रविष्टि फ़ॉर्म और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ गूगल ड्राइव का उपयोग करके एनएचआरसी shortfilm@gmail.com पर भेजे जा सकते हैं। कोई भी प्रश्न आयोग के M&C विंग को इस ईमेल पते के माध्यम से भी भेजा जा सकता है।

तकनीकी पहल

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/एनजीओ द्वारा सम्मेलनों, सेमिनारों और कार्यशालाओं के प्रस्तावों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डिजाइन, विकसित और कार्यान्वित किया है, ताकि उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रसंस्करण में दक्षता, पारदर्शिता, पहुंच और आसानी बढ़ाई जा सके।

आयोग ने मानव अधिकार आयोग नेटवर्क (HRCNet) पोर्टल (https://www.hrcnet.nic.in) भी विकसित किया है। इस पोर्टल का उपयोग देश भर में ऑन-बोर्ड मानव अधिकार आयोगों द्वारा ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने/ट्रैकिंग सिस्टम और ऑफ़लाइन प्राप्त शिकायतों, यानी हाथ से, डाक से आदि के निपटान के लिए किया जा सकता है। HRCNet पोर्टल कई वर्षों से शिकायतों के कुशल निपटान में एनएचआरसी को सक्षम बना रहा है। यह सॉफ्टवेयर शिकायतों के हर चरण जैसे कि शिकायत डायरीकरण, केस पंजीकरण, आयोग की कार्यवाही की प्रविष्टि आदि पर कार्रवाई करने में उपयोगी है। अधिकांश राज्य मानव अधिकार आयोगों ने शिकायतों के लिए HRCNet पोर्टल को ऑनबोर्ड किया है। हाल ही में, हरियाणा एसएचआरसी भी इसमें शामिल हो गया है।

राज्य मानव अधिकार आयोगों से समाचार

मानव जीवन के निरंतर बढ़ते आयामों और उससे जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए मानव अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण हमेशा से ही एक प्रगतिशील कार्य रहा है। भारत में, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारों के अलावा, जो संवैधानिक रूप से लोगों के बुनियादी मानव अधिकारों की रक्षा करके उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, विधायिका, न्यायपालिका, एक जीवंत मीडिया, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) और राज्य मानव अधिकार आयोग (एसएचआरसी) जैसी संस्थाएँ हैं, साथ ही अन्य राष्ट्रीय आयोग और उनके राज्य समकक्ष भी हैं जो समाज के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और मुद्दों के प्रहरी के रूप में काम करते हैं। इस कॉलम का उद्देश्य मानव अधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए एसएचआरसी द्वारा की गई असाधारण गतिविधियों को उजागर करना है।

हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग

मई, 2025 के दौरान, हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग (Hएसएचआरसी) ने अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा के नेतृत्व में कैथल जिला जेल का दौरा किया। आयोग ने सभी कैदियों के लिए पैरोल तक समय पर और समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य जेलों में एक ऑटो-जेनरेटेड पैरोल प्रणाली को लागू करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। न्यायमूर्ति बत्रा ने कहा कि पैरोल एक मौलिक मानव अधिकार है और प्रशासनिक देरी या जागरूकता की कमी के कारण इसे

अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, खासकर अशिक्षित कैदियों के बीच। आयोग ने मैन्युअल आवेदन की आवश्यकता के बिना कैदियों को उनकी पैरोल पात्रता के बारे में स्वचालित रूप से सूचित करने के लिए सॉफ़्टवेयर विकसित करने का सुझाव दिया। HHRC ने जेल अधिकारियों को नियमित परामर्श आयोजित करने, कैदी कल्याण में सुधार करने और 42 दिनों के भीतर पैरोल प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का भी निर्देश दिया।

एचएसएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्य श्री कुलदीप जैन और श्री दीप भाटिया ने राजभवन में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की और मानव अधिकारों के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने राज्यपाल को एचएसएचआरसी की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी और बताया कि नवंबर, 2024 में इसके पुनर्गठन के बाद से 3,000 से अधिक मामलों की सुनवाई की गई है, जिसमें डाक और ईमेल के माध्यम से प्रतिदिन 25-30 शिकायतें प्राप्त होती हैं। आयोग ने दक्षिणी हरियाणा के लिए गुरुग्राम में द्वि-मासिक शिविर अदालतों के माध्यम से अपनी पहुंच पर भी जोर दिया।

▶ एचएसएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा कैथल जिला जेल अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए

माह के दौरान, एचएसएचआरसी ने पंचकूला में अवैध खनन, राज्य में अपहरण और गुमशुदगी में वृद्धि, एक बुजुर्ग दम्पति को त्यागना और एक छात्र पर हमला सहित मानव अधिकार उल्लंघन के चार मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लिया।

मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग

मई, 2025 के दौरान, मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग (एमपीएसएचआरसी) ने एक व्यक्ति की अप्राकृतिक मृत्यु के मामले में राहत के रूप में 5 लाख रुपये की संस्तुति की, जिसने 1 मार्च, 2019 को भोपाल के कटारा हिल्स में पुलिस लॉक-अप में खुद की नकल की थी। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

संक्षेप में समाचार

- 1 मई, 2025 को , एनएचआरसी, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन षड़ंगी, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, नयाबाजार, कटक, ओडिशा के 37वें वार्षिक दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। ▶

- 2 मई, 2025 को एनएचआरसी, भारत के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ) बिद्युत रंजन षड़ंगी, ओडिशा के कटक स्थित दासपल्ला बार द्वारा आयोजित मानव अधिकार जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे।

- 3 मई, 2025 को एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने पूर्वी सेना कमान, कोलकाता द्वारा आयोजित एक बैठक में 'आतंकवाद विरोधी अभियानों में मानव अधिकारों का सार' पर एक व्याख्यान दिया। इसमें 200 से अधिक वरिष्ठ कमांडिंग अधिकारियों ने भाग लिया, और पूर्वोत्तर राज्यों से अन्य लोग ऑनलाइन शामिल हुए। इस वार्ता के बाद प्रश्नोत्तर सत्र हुआ जिसमें उन्होंने मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय आयामों, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम

(पीएचआरए), 1993, मानव अधिकार उल्लंघन निवारण तंत्र आदि से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इसकी मेजबानी लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी, जीओसी-इन-सी ने की। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के डीईएसए के सचिव डॉ नितेन चंद्र भी मौजूद थे।

- 4 मई, 2025 को, एनएचआरसी, भारत की सदस्या श्रीमती विजया भारती सयानी, हरियाणा के पंचकूला में संस्कार भारती और संवर्तिनी द्वारा आयोजित रानी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती समारोह में मुख्य अतिथि थीं। उन्होंने रानी अहिल्याबाई होल्कर के प्रशासनिक सुधारों, हाशिए पर पड़े लोगों के लिए न्याय का समर्थन, सशक्तिकरण और कौशल विकास, सामाजिक सद्भाव और आध्यात्मिक जीवन के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, समाज पर गहरा प्रभाव डालने वाले कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों और समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के अधिकारों का संवर्धन एवं संरक्षण करने के लिए एनएचआरसी की प्रतिबद्धता सदियों पहले शासन के प्रति रानी अहिल्याबाई के अधिकार-आधारित दृष्टिकोण को दर्शाती है।

- 9 से 11 मई, 2025 तक, एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन ने, तमिलनाडु के पुदुचेरी में कंबन कलैयारंगम में, चोल काल के तमिल कवि कंबन की स्मृति में कंबन कज़गम द्वारा आयोजित तीन दिवसीय उत्सव, 58वें कंबन विझा के उद्घाटन और समापन सत्र में भाग लिया । प्रख्यात वक्ताओं के संबोधन के अलावा, महोत्सव में कंबा रामायणम पर आधारित कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

- 17 मई, 2025 को, एनएचआरसी, भारत के सदस्य, श्री प्रियंक कानूनगो, सरकारी प्राथमिक विद्यालय, गाँव नाई नंगला, पंचायत नुनेरा, तहसील सोहना, हरियाणा में नाई समाज के लिए 'वंचितों के लिए मानव अधिकार' विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

- 18 मई, 2025 को एनएचआरसी , भारत के सदस्य डॉ. न्यायमूर्ति बिद्युत रंजन षड़ंगी ने कटक, ओडिशा में 16 वें राष्ट्रीय महोत्सव सतसाही नृत्योत्सव-2025 का उद्घाटन किया। 20 मई, 2025 को देर शाम उन्होंने भुवनेश्वर के खोरधा में आईएमएस और एसयूएम-अस्पताल की संस्थागत नैतिक समिति की बैठक में भाग लिया।

- 19 मई, 2025 को , एनएचआरसी, भारत ने अपने सलाहकार (अनुसंधान) श्री देवेश सक्सेना और जेआरसी, सुश्री अवनी वर्मा को नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स इन इंडिया (NASVI) द्वारा कॉन्स्टीट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में आयोजित स्ट्रीट वेंडर मीटिंग में भाग लेने के लिए नामित किया। उठाए गए मुद्दों में वेंडिंग सर्टिफिकेट प्राप्त करना, संबंधित अधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण का अभाव, पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से ऋण प्राप्त करने में समस्या, पुलिस कर्मियों द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को होने वाला मानसिक उत्पीड़न, लैंगिक संवेदनशीलता की आवश्यकता, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, 2014 का उचित कार्यान्वयन और प्रवर्तन, वेंडिंग ज़ोन पर निगरानी और विनियमन, अधिकृत और गैर-अधिकृत विक्रेता के बारे में डेटा की कमी शामिल थी।

- 27 मई, 2025 को एनएचआरसी , भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में क्लाइमेट ट्रेंड्स द्वारा आयोजित इंडिया हीट समिट 2025 में मुख्य भाषण दिया। श्री लाल ने पिछले 30 वर्षों में हीटवेव से संबंधित मौतों के बारे में बात की और हीटवेव मृत्यु दर पर विस्तृत डेटा की कमी, खराब सामाजिक-आर्थिक भेद्यता मानचित्रण आदि जैसी चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एनएचआरसी, भारत हमेशा से ही कमजोर लोगों और विशेष रूप से आश्रयहीन लोगों पर जलवायु और पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चिंतित रहा है, और संबंधित अधिकारियों पर ठंड और हीटवेव को कम करने के लिए निवारक उपाय करने पर जोर दे रहा है।

  श्री लाल ने कहा कि हाल ही में एनएचआरसी ने संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को पत्र लिखकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है, ताकि गर्मी की लहरों के प्रभाव को कम किया जा सके और कमजोर लोगों, खासकर बेघरों के लिए उचित आश्रय स्थल बनाए जा सकें। उन्होंने कहा कि गर्मी की लहरों से जुड़ी सामाजिक-आर्थिक कमजोरियों को पहचानना, शहरी गर्मी मानचित्रण के लिए रिमोट सेंसिंग और एआई का लाभ उठाना, गर्मी की लहरों के प्रभावों को कम करने के लिए स्थानीय शासन में मौसम संबंधी आंकड़ों को एकीकृत करना और अंतरराष्ट्रीय सहयोग और जलवायु वित्त को मजबूत करना आवश्यक है।

- 28 मई, 2025 को एनएचआरसी , भारत के महासचिव श्री भरत लाल ने सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस, ओल्ड जेएनयू कैंपस, नई दिल्ली में 'सत्र - मानव अधिकार: केवल कानूनी ढांचे नहीं, बल्कि राष्ट्र के मूल मूल्यों का प्रतिबिंब' पर व्याख्यान दिया। उन्होंने भारत के सभ्यतागत मूल्यों और सांस्कृतिक लोकाचार, भारत में मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए संस्थागत ढांचे और मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के अपने अधिदेश को पूरा करने में एनएचआरसी द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में बात की।

- 30 मई, 2025 को एनएचआरसी, भारत के सदस्य, श्री प्रियंक कानूनगो ने बिहार के चंपारण के भरपटिया गांव में आयोजित 'राष्ट्र ज्योति सम्मान' कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने हाशिए पर पड़े समुदायों के जमीनी स्तर के राष्ट्र-निर्माताओं से मुलाकात की और दलित ग्रामीणों में उनके मानवीय और संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाई।

आगामी कार्यक्रम

3rd June, 2025	को , एनएचआरसी, भारत अपने सभी 6 मानद सदस्य आयोगों और विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त की एक वैधानिक पूर्ण आयोग बैठक नई दिल्ली में आयोजित करेगा। बैठक का उद्देश्य मानव अधिकारों का संवर्धन एवं संरक्षण करने के लिए आयोगों के बीच तालमेल और सहयोग बढ़ाना है।
16th June, 2025	से, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत अपने परिसर में विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक महीने तक चलने वाला ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू करेगा।

मई, 2025 में शिकायतें

प्राप्त नई शिकायतों की संख्या	6,510
पुराने मामलों सहित निपटाए गए मामलों की संख्या	2,730
आयोग के विचाराधीन मामलों की संख्या	15,966

ख़बरों में मानव अधिकार एवं एनएचआरसी

सर्वे
भवन्तु सुखिनः

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

शिकायत दर्ज करने के लिए एनएचआरसी के महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर

टोल फ्री नंबर: 14433 (सुविधा केंद्र) फैक्स नंबर: 011-2465 1332

ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने के लिए: www.nhrc.nic.in, hrcnet.nic.in,

सामान्य सेवा केंद्र ईमेल: complaint.nhrc@nic.in (शिकायतों के लिए), cr.nhrc@nic.in (सामान्य प्रश्नों/पत्राचार के लिए)

मानव अधिकार संरक्षकों के लिए फोकल पॉइंट:

इंद्रजीत कुमार, उप रजिस्ट्रार (विधि)

मोबाइल नंबर +91 99993 93570 • फैक्स नंबर 011-2465 1334 • ई-मेल: hrd-nhrc@nic.in

प्रकाशक एवं मुद्रक: महासचिव, एनएचआरसी

विबा प्रेस प्राइवेट लिमिटेड में मुद्रित।, सी-66/3, ओखला इंडस्ट्रीयल। क्षेत्र, चरण- II, नई दिल्ली-110020 और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से प्रकाशित

मानव अधिकार भवन, ब्लॉक-सी, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली-110023

हिंदी संस्करण : अनूदित : हिंदी अनुभाग : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

covdnhrc@nic.in www.nhrc.nic.in @India_NHRC

RNI No. 61957/95